XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

27.11.2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–12/2011

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

श्री सहदेव उरांव, पिता–स्व0 सुकुरू उरांव, साकिन–आझोकोपा, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार..................

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी बीमारी के इलाज एवं लड़की की शादी में होनेवाली खर्च हेतु मौजा–मतेली खेमचन्द्र, थाना नं0–284, खाता नं0–381 एवं 490, खेसरा नं0 क्रमशः 1084 एवं 1058, रकवा क्रमशः–0.25 एकड़ एवं 0.36 एकड़, कुल–0.61 जमीन श्री मनोज मंडल, पिता–श्री शीतल मंडल तथा अधिक लाल मंडल, पिता–रघुनाथ मंडल, दोनों साकिन–आझोकोपा, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ को बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (G) अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि वह एक वृद्ध व्यक्ति है, जो पुराने रोग से ग्रसित है तथा अपनी अविवाहित लड़की के शादी कराना चाहता है, जिसके लिये प्रश्नगत जमीन बिक्री करना चाहता है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, रूपौली से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयीं। अंचलाधिकारी, रूपौली ने अपने पत्रांक 138, दिनांक 04.03.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि :–

आवेदक के द्वारा कुल धारित जमीन का विवरण :

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	जमाबन्दी	जमाबन्दी रैयत
मतेली खेमचन्द्र	284	490	1058	0.36	953	सहदेव उरांव पिता–सुकुरू उरांव
		381	1048	0.25	952	तदैव
		447	666/1057	3.25	1715	सहदेव उरांव वो गंगा उरांव,

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

						पिता–सुकुरू उरांव
मतेली खेमचन्द्र	284	86	663	1.08	87	गोईया उरांव पिता-- बन्दे उरांव,
			कुल	**4.94**		तदैव

प्रश्नगत भूमि खाता नं0–490 एवं 381 आवेदक के नाम से जमाबन्दी कायम है। खाता नं0--447 आवेदक एवं उनके भाई गंगा उरांव के नाम से जमाबन्दी कायम है तथा खाता नं0–86 आवेदक के स्व0 दादा के नाम से जमाबन्दी कायम है।

<u>बिकी सुदा भूमि का विवरण</u>

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	जमाबन्दी
मतेली खेमचन्द	284	381	1048	0.25	952
		490	1058	0.36	953
			कुल	**0.61**	

आवेदक के पास कुल 4.94 एकड़ में 0.61 एकड़ बिकी करने के पश्चात 4.33 एकड़ भूमि बचता है।

प्रश्नगत भूमि बिकी करने के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है।

प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार, भू–हदबन्दी, सैरात एवं स्वत्ववाद से मुक्त है।

प्रश्नगत भूमि बिकी करने हेतु अंचलाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गयी है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को स्वंय ईलाज कराने एवं पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिकी की अनुमति दी जाती है।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ